P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-5* August- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

जी.एस.टी : भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा कदम

प्रीती कुशवाह
शोध छात्रा
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग,
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान,
जयपुर, राजस्थान

गरिमा सक्सेना
एसोसिएट प्रोफेसर
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, महारानी कॉलेज
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान,
जयपुर, राजस्थान

सारांश

GST (वस्तु एवं सेवाकर) भारत में 01 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यथ कर व्यवस्था हैं जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है। GST भारत की अर्थव्यवस्था को "एक देश एक कर" वाली अर्थव्यवस्था बना देगा, यह लागू होने के बाद किसी भी वस्तु एवं सेवाओं पर कर वहां लगेगा जहां वह विक्रय होगा। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिये भारतीय संविधान में संशोधन किया गया हैं। इस कर व्यवस्था के लागू होने से केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पृथक्–पृथक् दरों पर लगाये जा रहे विभिन्न करों के स्थान पर पूरे देश के लिये एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की जायेगी जिससे भारत को एकीकृत बाजार बनाने में सहायता मिलेगी। इस पत्र में जी एस टी की पृष्ठभूमि, स्वरूप व संरचना, दरें, सुविधायें, सरकार के प्रयास आदि के बारे मे विस्तृत चर्चा की जा रही हैं।

मुख्य शब्द : भारत में जीएसटी, वस्तु और सेवाकर, जीएसटी का प्रभाव।

प्रस्तावना

(वस्तु एवं सेवाकर) का विचार

भारत में कर ढांचें में सुधार का एक बहुत बडा कदम है। GST एक अप्रत्यक्ष कर कानून है तथा एक एकीकृत कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर लगेगा। GST (वस्तु एवं सेवाकर) लागू होने से पूरा देश एकीकृत बाजार में परिवर्तित हो जायेगा तथा अप्रत्यक्षकर जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, मनोरंजन कर आदि ळैज में समाहित हो जायेगे। इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लागू होगा। भारत में लागू विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समायोजित कर "एकीकृत कर प्रणाली" जिसे ळैज (वस्तु एवं सेवाकर) कहा गया है को संसद के दोनों सदनों राज्यसभा व लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत द्वारा पारित किया गया है।

उद्देश्य

1. जी.एस.टी. लागू करने की आवश्यकता का अध्ययन करना।
2. जी.एस.टी. अवधारणा को समझने में सहायता करना।
3. जी.एस.टी. की विशेषताओं का अध्ययन करना।
4. जी.एस.टी. लागू होने से इसका भारतीय अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों व लाभों का विश्लेषण करना।

सांवैधानिक प्रक्रिया

इस नई कर प्रणाली को संपूर्ण भारत में लागू करने के उद्देश्य से कर प्रस्ताव प्रणाली हेतु संविधान संशोधन प्रक्रिया का पालन किया गया, जिसमें संसद के साथ–साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन आवश्यक था क्योंकि यह केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर "एकीकृत कर" के रूप में लागू होगा। (122nd Amendment) ळैज बिल जिसे राजकीय तौर पर (The Constitution GST Bill, 2014) के नाम से जाना जाता है।

लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया	–	06 मई, 2016
राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया	–	03 अगस्त, 2016
अनुमोदन प्रदान करने वाला प्रथम राज्य	–	असम
अनुमोदन प्रदान करने वाला अंतिम राज्य	–	छत्तीसगढ़

वस्तु एवं सेवा कर परिषद्

यह कर "वस्तु एवं सेवा कर परिषद्" द्वारा निर्धारित किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री हैं।नवीन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने हेतु " GST परिषद्" नामक संवैधानिक निकाय का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री अरूण जेटली को बनाया गया है, इस परिषद् में राजस्व

मामले के केन्द्रीय वित मंत्री एवं राज्यों के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया है।

क्यों जरूरी हैं GST (वस्तु एवं सेवाकर)

सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने कव अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। इस कारण देश में अलग–अलग तरह के कर लागू है जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल है, कंपनियों व छोटे व्यवसायों के लिये विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालना करना कठिन होता हैं। 20 लाख से कम की वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को इस कर व्यवस्था से छूट दी गई है।

GST (वस्तु एवं सेवाकर) का स्वरूप व संरचना

सम्पूर्ण भारत में "एकल कर व्यवस्था" को नियोजित करने हेतु इसे लागू किया गया है। इस कर प्रणाली की संरचना को निम्न भागों में विभाजित किया गया है –

CGST SGST IGST

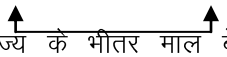

राज्य के भीतर माल बेचने पर CGST तथा SGST लगेगा। जैसे कोई गुजरात का व्यक्ति गुजरात के व्यक्ति को माल बेचता है और उस वस्तु पर GST की दर 18 प्रतिशत है तो 9 प्रतिशत ब्ळैज् तथा 9 प्रतिशत SGST होगा और यदि माल राज्य के बाहर बेचा जाता है तो 18 प्रतिशत की दर से CGST लागू होगा।

CGST

Excise Duty, Service Tax, Custom Duty, CENVAT और अन्य केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर का स्थान लेगा।

भारत की वर्तमान कर संरचना बहत ही जटिल है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य

SGST

VAT, Entertainment Tax, Entry Tax, Luxury Tax का स्थान लेगा।

IGST

Central Sales Tax लेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिये IGST लागू होगा।

GST (वस्तु एवं सेवाकर) टैक्स स्लैब्स

जीएसटी काउन्सिल के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार GST Tax के चार स्लैब होगे – 5%, 12%, 18%, 28% । इन सबमें विलासितापूर्ण लक्जरी आईटम पर अधिकतम टैक्स लगाया जायेगा तथा रोजमर्रा में उपयोग आने वाली आधारभूत व आवश्यक वस्तुओं पर न्यूनतम टैक्स 5 प्रतिशत होगा। अन्य टैक्स स्लैब वस्तुओं की उत्पादन, आयात, निर्यात व जरूरतों के अनुसार लागू किये जायेगे। सरकार के अनुसार इसमें से 81 प्रतिशत वस्तुयें जीएसटी की 18 प्रतिशत की श्रेणी में आयेगी। इस सरल कर प्रणाली के लागू होने से जहां आम जनता को काफी फायदे होगें। वहीं बडे उद्योगों व कम्पनियों को व्यापार करने में आसानी होगी।

GST लागू होने के बाद वर्तमान के Indirect Taxes जैसे Excise Duty, Service tax और VAT आदि समाप्त हो जायेगे और उनकी जगह केवल GST ही लगेगा। जिससे कुछ वस्तुयें सस्ती हागी तो कुछ मंहगी। GST को दो वर्गों में विभाजित किया गया है– GOODS पर तथा Services पर

GST के अंतर्गत पांच तरह की Tax Rates तय की गयी है –

0%	5%	12%	18%	28%
अनाज, दूध, अंडें, आटा, अनपैक्ड पनीर व शहद, नमक, ब्रेड, प्रसाद, बिंदी, सिन्दूर, फिश, चिकन, चूडियां, न्यायिक दस्तावेज, प्रिन्टेड बुक्स, अखबार, हैंडलूम आदि।	चीनी, चाय, कॉफी, कोयला, पैक्ड पनीर, चॉक, छातें, स्किम्ड मिल्क, पाउडर, मसालें, पिज्जा ब्रेड, साबूदाना, केरोसिन, दवायें आदि।	मक्खन, घी, मोबाइल्स, किशमिश, बादाम, जूस, पैक्ड नारियल, पैक्ड वाटर, अगरबत्ती, नमकीन, सिलाई मशीन आदि।	हैयर ऑयल, साबून, टूथपेस्ट, पास्ता, कॉर्नफलेवर, जैम, सॉस, आइसकी, फैशियल टिश्यू, लोटा, स्टील, मिनरल वाटर, पेस्ट्रीज, केक, लिफाफे, नोटबुक, कैमरा, स्पीकर, मॉनीटर्स आदि।	पेन्ट, कार, सीमेन्ट, कस्टर्ड पाउडर, पान मसाला, परफ्यूम, शैम्पू, मोटर साईकिल, हैयर डायर्स, च्यूइंगम, गुड, वांशिग मशीन, वैक्यूम क्लीनर्स, एटीएम आदि।

GST से क्या सस्ता होगा और क्या मंहगा

Goods Items	Current Rate %	GST Rate %
Mobile Phones	20	12
Contact Lenses	18	12
Utensils	18	12
LPG	11	5
Processed Food	14	12
Personal Computers	16	18
Laptops	16	18
Digital Cameras	24	28
Butter	6	12
Fruit Juice	6	12
Perfume	20	28
Consumer Durables	20	28
Packaged Food items	0	5
Biscuits	20-23	18
Footwear		

Cost Less than 500 Rs. Costing above 500 Rs.	9.5 23-29	5 18
Cotton Fiber	5	5
Readymade garments Those costing upto 1000 Rs. Those costing over 1000 Rs.	 7 7	 5 12
Gold, Silver, Diamond Jewellery	2-2.5	3
Bidi	26-27	28

सेवाओं पर GST

0%	5%	12%	18%	28%
Hotels and Lodges (With Tariff below Rs. 1000)	Transport Services, Small Restaurants	Non-AC Hotels, Business Class Air Ticket, Fertilizers, Work Contracts	AC Hotel, Telecom Services, IT Services, Financial Services	5 Star Hotels, Race Club, Betting, Cinema

GST (वस्तु एवं सेवाकर) के प्रभाव

1. GST लागू होने के बाद कर ढांचा एकदम पारदर्शी व समान होगा।
2. केन्द्र व राज्यों द्वारा ळैज समान अनुपात में विभाजित किये जायेंगे। केन्द्र द्वारा वसूले गये कर CGST तथा राज्यों द्वारा वसूले गये कर SGST के अंतर्गत आयेंगे।
3. केन्द्र व राज्य सरकार दोना को इस कर व्यवस्था पर कानून बनाने का अधिकार होगा।
4. इस नई कर व्यवस्था के लागू होने से राज्यों को होने वाली राजस्व हानि का भुगतान केन्द्र के द्वारा अगले पांच वर्षों तक किया जायेगा। इसके अलावा GST से जो कर प्राप्त होगा, वो केन्द्र सरकार व राज्य सरकार में एक निर्धारित अनुपात में बांटा जायेगा।
5. इसके लागू होते ही केन्द्र को मिलने वाली Excise Duty, Service Tax, Custom Duty और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाला VAT, Entertainment Tax, Entry Tax समाप्त हो जायेगे।
6. एक समान टैक्स सिस्टम लागू होने से ढेरों कर कानूनों और कर नियामकों (Tax Regulators) का झंझट नहीं रहेगा।

GST (वस्तु एवं सेवाकर) के लाभ

1. GST लागू होने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ग्राहक को एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा जिससे टैक्स पर टैक्स से राहत मिलेगी अर्थात् अब जो टैक्स किसी वस्तु या सेवा पर लगाया जावेगा वह राज्य व केन्द्र सरकार दोनों कव ही मिला जुला टैक्स होगा।
2. यह नवीन कर प्रणाली नियमित रूप से लागू होने के कुछ वर्षों के पश्चात् वस्तु व सेवाओं के मूल्य में कमी आयेगी।
3. इसकी भुगतान प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होने के कारण कर अपवंचन (Tax Evasion) नहीं होगा।
4. वस्तुओं व सेवाओं का लागत मूल्य कम होने के कारण निर्यात को बढावा मिलेगा।
5. GST लागू होने से देश की जीडीपी में वृद्धि होगी। जिससे राजस्व घाटे में कमी आयेगी।
6. वर्तमान समय में आम जनता को वस्तुओं के क्रय के समय उन पर 30–35 प्रतिशत टैक्स का भगतान करना पड़ता है। GST लागू होने के पश्चात् ये टैक्स घटकर 20–25 प्रतिशत रहने की उम्मीद हैं।
7. व्यापारियों को वस्तुयें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर अलग–अलग टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा।
8. कर भार कम होने से भारतीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होने की आशा है। जिससे देश के विकास में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

जीएसटी हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इससे उपभोक्ताओं व व्यापारियों को राहत मिलेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों व सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी तथा निर्यात को बढावा मिलने की उम्मीद है। अंतिम उपभोक्ताओं पर कर भार कम होगा। इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य हिस्सों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को जीएसटी एकीकृत करेगी। भारत में अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में बदलाव का यह एक बहुत बड़ा कदम है। इससे राष्ट्रीय बाजार को फायदा मिलेगा तथा एक आम आदमी के दृष्टिकोण से, उसके द्वारा चुकाये जाने वाले सभी करों की मात्रा में कमी आयेगी।

References

1. *Patrick M (2015). Goods and Service Tax :Push for Growth. Centre for Public Policy Research (CPPR).*
2. *Kumar Nitin(2014).Goods and Service Tax in India : A Way forward, Global Journal of Multidisciplinary Studies, 216-224.*
3. *Poddar, S & Ahmad (2009).GST reforms and intergovernmental considerations in India. Ministry of Finance, Government of India.*
4. *Shah,Kumar (2014), "Goods and Service Tax in India : Challenges and Opportunities", Global Journal of Multidisciplinary Studies, volume 3, issue 9.*

Newspaper Articles

5. *The Times of India: "GST draft makes it must for companies to pass tax benefit to consumers". November 27,2016.*
6. *The Hindustan Times : "GST launch : Times when the Parliament convened for a session at midnight". June 30,2017.*
7. *Business Standard : " What is GST, how it is different from now: Decoding the indirect tax regime". April 17, 2017.*
8. *The Hindu : " All your queries on GST answered". June 30, 2017.*

Websites

9. *www.webdunia.com*
10. *www.drishtiias.com*
11. *www.navbharattimes.indiatimes.com*
12. *www.askhindi.com*
13. *www.cleartax.in*
14. *www.financialexpress.com*
15. *www.gstn.org*